संख्या : 215/उन्तीस/04-2-04(15पे0)/2001

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादून : दिनांक 15 फरवरी, 2005

विषय : केन्द्र पुरोनिधानित कार्यक्रम के अन्तर्गत त्वरित नागर पेयजल योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2004-05 में केन्द्रांश /राज्यांश की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 398/धनावंटन प्रस्ताव दिनांक 31.01.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार शहरी विकास एवं गरीबी उप शमन मंत्रालय के स्वीकृति आदेश संख्या Z-14013/1/2004 PHE-III/दिनांक 21 दिसम्बर, 2004 द्वारा त्वरित नागर पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत हरबंट पुर (टी0ए0री0) पेयजल योजना जनपद देहरादून के प्राक्कलन अनु0 लागत रू0 250.50 लाख पर अनुमोदन प्रदान करते हुए योजना की कुल केन्द्रांश की धनराशि रू0 125.25 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत केन्द्रांश की रू0 62.62 लाख (रू0 बासठ लाख बासठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गई है। भारत सरकार द्वारा अवमुक्त रू0 62.62 लाख केन्द्राश के रूप में तथा उसके सापेक्ष रू0 62.62 लाख (रू0 बासठ लाख बासठ हजार मात्र) राज्यांश के रूप में अर्थात कुल रू0 125.24 लाख (एक करोड़ पच्चीस लाख चौबीस हजार मात्र ) की धनराशि को उक्त योजना के निर्माणार्थ व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक,उत्तरांचल पेयजल निगम के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार मे प्रस्तुत करके यथा आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी एवं आहरण से संबंधित बाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना आहरण के तुरन्त बाद शासन एवं महालेखाकार को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

3-केन्द्रांश एवं राज्यांश से निर्मित योजनाओं का विवरण एवं उनके विपरीत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का योजनावार विवरण शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

क्रमशः-2

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31 मार्च, 05 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

5– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।

6– स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रश्नगत कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

7– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स/डी0जी0एस0एन0डी0 अथवा टेण्डर कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

8– कार्य कराते समय आगणन में सेन्टेज वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार निर्धारित 12.5 प्रतिशत ही आंकलित किया जायेगा।

9– स्वीकृत की जा रही धनराशि का तत्काल उपयोग कर इसका उपयोगिता प्रमाणपत्र भारत सरकार व राज्य सरकार को अविलम्ब उपलब्ध कराया जायेगा।

10– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाये –06–छोटे/मध्यम नगरों की जलापूर्ति (50प्रतिशत के0स0)–20–सहायक अनुदान /अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 357/वित्त अनु0–3/2005 दिनांक 11 फरवरी ,2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रही है।

भवदीय,

( कुँवर सिंह )
अपर सचिव

संख्या 215(1)/नौ–2–(15पे0)/2001, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– मण्डलायुक्त, कुमायूँ, नैनीताल।
4– जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून।
6– मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल), उत्तरांचल पेयजल निगम,पौड़ी।

क्रमशः...3

7– महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, पौड़ी।
8– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री।
9– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ/वित्त बजट सैल।
10– निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, ई0सी0 रोड, देहरादून।
11– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12– गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव।